न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 70/2013/(2013/00091) जिला–अजमेर

1. पीथा पुत्र मंगला
2. गोम पुत्र मंगला
3. हेमा पुत्र मंगला
4. खेमा पुत्र मंगला
5. बरदा पुत्र मंगला

उपरोक्त सभी जाति चीता निवासी सेन्दरिया तहसील व जिला अजमेर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर
2.ग्राम पंचायत सेन्दरिया जरिये सरपंच जिला अजमेर।

––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर अजमेर क्रमांक कअ/राजस्व
/12 एफ–सी/12/7 दिनांक 16–11–2012 के क्रम में
नामान्तरकरण संख्या 586 दिनांक 25–7–2013 का
तहसीलदार, अजमेर द्वारा पारित आदेश

––––

उपस्थित– 1. श्री मदन सिंह रावत, अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः 28–03–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण की ग्राम सेन्दरिया तहसील अजमेर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2004 व 2055 का रकबा 35 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं 722 बीघा सिवायचक भूमि है जिसमें से खसरा

नम्बर 2004 का रकबा 33 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त है। जिला कलक्टर, अजमेर ने उनके कार्यालय के आदेश क्रमांक 184 दिनांक 16–11–2012 की पालना में विवादित आराजियात को ग्राम पंचायत सेन्दरिया के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार, अजमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 586 दिनांक 25–7–2013 स्वीकृत कर दिया। अपीलार्थीगण ने तहसीलदार, अजमेर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 586 आदेश दिनांक 25–7–2013 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि अपलार्थीगण ने एक अपील माननीय न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत जिला कलक्टर, अजमेर आदेश दिनांक 16–11–2012 की पालना में तहसीलदार, अजमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 586 दिनांक 25–7–2013 पारित किया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। उक्त आदेश की जानकारी नहीं होने एवं जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा उक्त आदेश बिना सूचितकिये व सुनवाई का अवसर प्रदान किये मौके पर विवादित आराजियात पर खातेदार काश्तकार का पुश्तैनी कब्जा काश्त होने एवं तथ्यों की जानकारी होने के उपरान्त भी तथ्यों को नजर अन्दाज कर आदेश पारित किया है। उक्त त्रूटिपूर्ण आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं होने के कारण समय पर अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अपीलार्थी ने पटवारी हलका से दिनांक 18–9–2013 को उक्त आदेश की नकल लेने पर जानकारी हुई जानकारी दिनांक से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र

में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलांट अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सेन्दरिया तहसील अजमेर में स्थित कृषि भूमि हाल वर्किंग जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 2004 व 2055 का रकबा 35 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं 722 बीघा सिवायचक भूमि है जिसमें से खसरा नम्बर 2004 का रकबा 33 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं 2055 की भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त है। जिसपर अपीलार्थी के पूर्वजों ने विवादित आराजियात को 1956 के पूर्व से ही खरीदशुदा आराजी पर काबिज काश्त होना दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया जबकि जमाबदी 2015 से 2018 में भी वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी के दादा धन्ना वल्द अजीरा के नाम खातेदारी काश्तकारी में दर्ज है लेकिन भू–संशोधन के दौरान त्रुटि से उक्त आराजी सिवायचक दर्ज कर दी और अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस दिया तब तहसीलदार, अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 3–4–1976 को धारा 91 की कार्यवाही को निरस्त करते हुए खातेदारी दर्ज किये जाने के निर्देश के उपरान्त भी खातेदारी दर्ज नहीं की गई और प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधीनस्थ पटवारी हलका ने सरकार बनाम पीथा व अन्य के समायोजित प्रकरण संख्या 72/2010, 146/2007 व 148/2007 तथा 12/2011 में अपने बयानों में भी अपीलार्थी के कथनों को सही होना स्वीकार किया तथा मौका पर्चा दिनांक 2–5–2011 में भी पिछले 64 वर्षो से पुश्तैनी कब्जा काश्त होने का उल्लेख किया है इसके उपरान्त भी प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व बयानों में में स्वीकृति के विपरीतजाकर अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील विचाराधीन है। इस दौरान ही उक्त आदेश बिना मौके पर कब्जे काश्त की जांच किये तथा स्वयं जिला कलक्टर द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश दिनांक 23–7–2010 अपील संख्या 148/2007 को अनदेखा कर उस पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजर अन्दाज कर पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी आराजियात को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान कर अपीलाधीन आदेश से प्रत्यर्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत सेन्दरिया के नाम सिवायचक से हस्तांतरित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

अपलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण अपने दादा धन्ना के समय से विवादित आराजियात पर खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज काश्त है। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2012 की पालना में तहसीलदार अजमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 586 दिनांक 25–7–2013 स्वीकृत किया है। जबकि अपीलार्थीगण अपने दादा धन्ना के समय से खातेदार के रूप में काबिज काश्त है जिसके खसरा नम्बर 1531 का रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं खसरा नम्बर 1545 का रकबा 7 बीघा का रेकार्डेड खातेदार के रूप में अंकन है जिसके नये खसरा नम्बर मिलान क्षैत्रफल के अनुसार 2004 व 2055 बने है तथा वर्तमान हाल जमाबंदी के खसरा नम्बर 1871, 1873, 1884, 1885 तथा 1893 से 1901 बने है जिन पर अपीलार्थीगण खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा विवादित आराजियात गलत रूप से प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम हस्तांतरित कर दी जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2012 की पालना में तहसीलदार, अजमेर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 586 दिनांक 25–7–2013 द्वारा विवादित आराजियात अपीलार्थीगण के नाम खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण 70 साल से खेती कर रहे है। नियम 1970 20 (क) भू–संशोधन में खातेदारी मिलनी चाहिए। भूमि आवंटन का केम्प लगाकर भूमि आवंटन की जावे। विवादित आराजियात का मूल खातेदार की मृत्यु हो गई हो तो उनके वारिसान के नाम भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे। विवादित आराजियात पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त 70 वर्षो से है किन्तु खातेदारी अभी तक नहीं मिली है।

प्रत्यर्थीगण के राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण के विद्धान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील नामान्तरकरण संख्या 586 दिनांक 25–7–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित सम्पूर्ण आदेश दिनांक 16–11–2012 को चुनौती नहीं दी गई है। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा 500 मीटर की परिधि में तथा ग्राम पंचायत के अन्य ग्रामों में आबादी क्षैत्र से 200 मीटर तक की सीमा में आबादी विस्तार एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं यथा विद्यालय, चिकित्सालय आदि के लिए आबादी भूमि/हस्तांतरित सिवायचक भूमि पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पट्टे जारी करने की अधिकारिता प्रदान की गई थी। तहसीलदार, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर

प्रतिबंधित किस्म की भूमि को छोड़कर राजकीय सिवायचक भूमि को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने की स्वीकृति जारी की गई है जिसकी पालना में ही तहसीलदार, अजमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 586 दिनांक 25–7–2013 पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादित आराजियात अपीलार्थीगण के पुश्तैनी समय से कब्जे काश्त में चली आ रही है। ग्राम सेन्दरिया में स्थित विवादित आराजात तीन कि0मी0 की परिधि से बाहर स्थित है ग्राम पंचायत सेन्दरिया को विवादित आराजियात अपीलार्थीगण के नाम करने में कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.–12(सी)( )/12/184 दिनांक 16–11–2012 के द्वारा 500 मीटर की परिधि में तथा ग्राम पंचायत के अन्य ग्रामों में आबादी क्षैत्र से 200 मीटर तक की सीमा में आबादी विस्तार एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं यथा विद्यालय, चिकित्सालय आदि के लिए आबादी भूमि/हस्तांतरित सिवायचक भूमि पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पट्टे जारी करने की अधिकारिता प्रदान की गई थी। तहसीलदार, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर प्रतिबंधित किस्म की भूमि का छोड़कर राजकीय सिवायचक भूमि को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने की स्वीकृति जारी की गई है जिसकी पालना में ही तहसीलदार, अजमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 586 दिनांक 25–7–2013 पारित किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा जिला कलक्टर अजमेर के सम्पूर्ण आदेश के विरूद्ध अपील नहीं कर केवल मात्र नामान्तरकरण संख्या 586 दिनांक 25–7–2013 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर विवादित आराजियात खातेदारी में दर्ज करने हेतु अपील की है जो विधिसम्मत नहीं है। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग्स है जिसमें किसी के हक एवं अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। नामान्तरकरण विवादित भूमि में कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करता है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में वसीयत, गोद, उत्तराधिकार, खातेदारी अधिकारों के जटिल विवाधको का विनिश्चय करना संभव नहीं होता है। पक्षकारों को अपने हक व स्वामित्व को स्थापित करने के लिए सक्षम न्यायालय में दावा करना चाहिए। जिससे यह स्पष्ट है कि यदि अपीलार्थीगण को अपने स्वत्व प्राप्त करने है तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही करके प्राप्त कर सकते है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2012 एवं उसकी पालना में तहसीलदार, अजमेर द्वारा

स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 586 दिनांक 25–7–2013 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर) अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2012 एवं उसकी पालना में तहसीलदार, अजमेर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 586 दिनांक 25–7–2013 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर